सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 30, सोमवार, *शाके* 1944-नवम्बर 21, 2022 *Kartika 30, Monday , Saka 1944- November 21, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 17, 2022

संख्या प. 20 (2) गृह-9/2012पार्ट1 :-यत राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप धारा- (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (i) एवं (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2022-11-17 के द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को दिनांक 2022-11-17 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है

यत राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप धारा- (1) की शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल किये जाने को एतद्वारा दिनांक 2022-11-17 से आगामी 06 माह तक के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुकेश पारीक,
शासन उप सचिव, गृह।

2567

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।